

अध्याय III: कोयला मंत्रालय

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

3.1 निचले स्तर के वाशरी ग्रेड कोयले के साथ कीमती स्टील ग्रेड कोयले का मिश्रण

स्टील ग्रेड कोयला कीमती, उच्चतर राजस्व वाला कोयला है और स्टील क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा सीधे प्रयुक्त किया जा सकता है। अनुपातिक रूप से कम राख होने के कारण इसे वाशिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने ग्राहकों को सीधे स्टील ग्रेड कोयला आपूर्त करने और अधिक राजस्व अर्जित करने की बजाए अपने चार वाशरीज में निचले स्तर के वाशरी ग्रेड कोयले के साथ कीमती स्टील ग्रेड कोयले को मिला दिया। इसके परिणामस्वरूप कंसरवेटिव आधार पर कंपनी को 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹95.09 करोड़ की हानि हुई।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) अपने उपभोक्ताओं की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले के खनन, शोधन और वितरण से जुड़ी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक अनुषंगी कोयला उत्पादक कंपनी है। बीसीसीएल कोकिंग और गैर-कोकिंग दोनों कोयले का उत्पादन करती है। 18 प्रतिशत से कम राख वाला कोकिंग कोयला स्टील ग्रेड कोयला कहा जाता है जिसे स्टील क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपयोग में लाया जा सकता है। उच्चतर राख वाले कोयले (18 से 35 प्रतिशत) को शोधन ग्रेड कोयला कहा जाता है जिसे स्टील के उत्पादन के उपयुक्त बनाने के लिए इसके शोधन की आवश्यकता होती है।

2013-14 से 2015-16 के दौरान, बीसीसीएल ने 13.91 लाख टन स्टील ग्रेड कोयले¹ को 12.42 लाख टन शोधन ग्रेड कोयले के साथ मिलाकर अपनी चार शोधन इकाइयों (पूरी अवधि के लिए सुदामाडीह एवं डुग्डा-II एवं 2015-16 में केवल मद्दा एवं महूदा एवं भोजूडीह) में 26.33 लाख टन कोकिंग कोयला डाला, जिसमें से औसत दर्जे, गारे और बेकार सहित अंततः केवल 6.64 लाख टन शोधित कोयला (25 प्रतिशत) ही प्राप्त हुआ। लेखापरीक्षा ने इस संबंध में देखा कि:

- (i) बीसीसीएल की शोधनशालाओं को स्टील ग्रेड कोयले को शोधन ग्रेड कोयले के साथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। स्टील ग्रेड कोयले से शोधन ग्रेड कोयले की तुलना

¹ जिसमें 0.16 लाख टन स्टील ग्रेड I कोयला और 13.75 लाख टन स्टील ग्रेड II कोयला कोयला निहित था।

में अधिक राजस्व प्राप्त होता है और इसलिए अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए स्टील क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सीधे स्टील ग्रेड कोयला बेचा जाना चाहिए।

- (ii) बीसीसीएल ने कच्चे स्टील ग्रेड कोकिंग कोल की आपूर्ति के लिए मै. टाटा स्टील और सेल के साथ एक समझौता (एमओयू) किया था। बीसीसीएल को 2013-14 में मै. टाटा स्टील को 25 लाख कच्चे कोकिंग कोल की आपूर्ति करनी थी जिसकी इसने आपूर्ति नहीं की। बीसीसीएल ने 2014-15 से 2015-16 के दौरान सेल को भी 12 लाख टन कच्चे स्टील ग्रेड कोकिंग कोयले की आपूर्ति करने की हामी भरी थी, जिसके प्रति कंपनी केवल 1.02 लाख टन की ही आपूर्ति कर सकी। इस प्रकार, बीसीसीएल द्वारा कच्चे स्टील ग्रेड कोयले की पर्याप्त मांग का खनन किया गया था।
- (iii) यह देखा गया कि 24 प्रतिशत से अधिक राख वाले कच्चे कोकिंग कोयले के शोधन के लिए बीसीसीएल की शोधनशालायें बनाई गई हैं, जिसे कंपनी द्वारा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इसे सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीआईएल की सहायक और बीसीसीएल की संबंधित इकाई) में एक संयोजन समिति गठित की गई है। संयोजन समिति शोधनशालाओं को वार्षिक रूप से भेजे जाने वाले कच्चे कोयले की गुणवत्ता, मात्रा और स्रोत का निर्धारण करती है। तथापि, बीसीसीएल में ऐसी कोई संयोजन समिति नहीं है और स्टील ग्रेड कोयला सहित विभिन्न ग्रेड का कच्चा कोकिंग कोयला उनके शोधन की आवश्यकता का निर्धारण किए बिना नियमित तरीके से दैनिक संचालन के रूप में शोधन हेतु कोयला खदानों से भेजा जाता है। शोधनशालाओं में विभिन्न ग्रेड का कोयला मिश्रित हो जाता है और शोधित कोयले का उत्पादन किया जाता है।
- (iv) तीन वर्ष की अवधि के दौरान (2013-16), बीसीसीएल ने अपनी शोधनशालाओं में 12.42 लाख टन शोधन ग्रेड कोयले के साथ 13.91 लाख टन स्टील ग्रेड कोयला भेजा (52 प्रतिशत) और केवल 6.64 लाख शोधित कोयले का उत्पादन किया जो इस अवधि के दौरान केवल 25 प्रतिशत रहा। पूर्व अवधि के दौरान (2010-13), बीसीसीएल ने इन शोधनशालाओं में 33.80 लाख टन स्टील ग्रेड कोयला (भेजे गए कोयले का 58 प्रतिशत) सहित 58.50 लाख टन कोकिंग कोयले का शोधन किया और 45 प्रतिशत उपज होने पर 26.42 लाख टन शोधित कोयले का उत्पादन किया। बाद की अवधि के दौरान (2016-17) भी कंपनी ने 5.95 लाख टन स्टील ग्रेड कोयला वाले (भेजे गए कोयले का 44 प्रतिशत) 13.37 लाख टन कोयला प्रसंस्कृत किया और 42 प्रतिशत उपज के साथ 5.58 लाख टन का उत्पादन किया। इस प्रकार, 2013-16 के दौरान इन चार शोधनशालाओं से 25 प्रतिशत की उपज पूर्व

अवधि (45 प्रतिशत) और बाद की अवधि (42 प्रतिशत) में इन्ही शोधनशालाओं से प्राप्त उपज की तुलना में काफी कम थी।

लेखापरीक्षा ने ऐसे और राजस्व की गणना की जो बीसीसीएल 2013-16 के दौरान अर्जित कर सकती थी, यदि स्टील ग्रेड कोयला शोधन ग्रेड कोयले के साथ मिलाने की बजाए स्टील उपभोक्ताओं को सीधे भेज दिया जाता जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष		
		2013-14	2014-15	2015-16
1	अधिसूचित मूल्य ² पर (क्रशिंग प्रभार ³ , स्वच्छ ऊर्जा अधिभार ⁴ , उत्पाद शुल्क ⁵ और रायल्टी सहित) 13.91 लाख टन स्टील ग्रेड (I एवं II) का लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य	208.12	50.70	424.86
2	प्राप्त 6.64 लाख टन शोधित कोयले का वास्तविक बिक्री मूल्य	145.96	28.05	236.95
3	7.27 लाख टन स्टील ग्रेड कोयले के शोधित उत्पादन न करने की बजाए केवल सह उत्पाद का वास्तविक बिक्री मूल्य	45.74	12.28	119.60
4	कुल प्राप्त बिक्री मूल्य [क्र.सं. 2+क्र.सं.3]	191.71	40.33	356.55
5	स्टील ग्रेड कोयले को शोधन ग्रेड कोयले में मिलाने से राजस्व [क्र.सं. 1-क्र.सं.4] हानि	16.41	10.37	68.31
6	कुल राजस्व हानि [पंक्ति सं. 5 का योग]	95.09 करोड़		

लेखापरीक्षा ने 12.42 लाख टन शोधन ग्रेड कोयले के मूल्य, अधिसूचित मूल्य जो स्टील ग्रेड कोयले के एमओयू मूल्य से कम मानते हुए शोधन स्टील ग्रेड कोयले का मूल्य को ध्यान में रखे बिना कंसरवेटिव आधार पर हानि की गणना की है।

² अधिसूचित मूल्य वह है जो सामान्यतः सीआईएल द्वारा एमओयू मूल्य से कम होता है और विभिन्न ग्रेड कोयले के लिए निर्धारित किया जाता है। कच्चे स्टील ग्रेड कोल I एवं II का अधिसूचित मूल्य क्रमशः ₹4880 प्रति टन तथा ₹4080 प्रति टन है। अधिसूचित मूल्य का प्रयोग परम्परागत आधार पर बिक्री मूल्य का निर्धारण करने के लिए किया जाता है।

³ विभिन्न आकार के क्रशड कोयले की आपूर्ति के लिए ग्राहकों से कोल कंपनियों द्वारा वसूले गए प्रभार

⁴ स्वच्छ ऊर्जा अधिभार एक प्रकार का कार्बन कर है जो स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने और उसके वित्तपोषण के लिए 1 जुलाई 2010 से कोयले पर उत्पाद शुल्क के रूप में वसूला जाता है।

⁵ स्टॉइंग उत्पाद शुल्क भारत सरकार द्वारा कोयले पर परिव्यक्त खदानों के बुनियादी विकास, प्रवासन और स्टॉइंग के लिए लगाया जाता है।

बीसीसीएल प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2017) कि स्टील ग्रेड कोयले का स्टॉक संचित हो गया था जिसके लिए कोई खरीददार नहीं था गुणवत्ता क्षरण और आग की संभावना थी इसलिए प्रबंधन के पास कंपनी को हानि से बचाने के लिए उच्चतर मूल्य (₹6550 प्रति टन) पर सेल को शोधित कोयले की आपूर्ति के लिए शोधनशाला में इसके उपयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

निम्नलिखित को देखते हुए बीसीसीएल का उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- यह तर्क कि स्टील ग्रेड कोयले का कोई खरीददार नहीं था, तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि बीसीसीएल टाटा स्टील और सेल के साथ मौजूदा एमओयू के अनुसार स्टील ग्रेड कोयला की आपूर्ति के लिए अपनी वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर सकी।
- यह तर्क कि कंपनी ने शोधन स्टील ग्रेड कोयला द्वारा अधिक मूल्य कमाया, मान्य नहीं है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान मिश्रित कोयले से उत्पादित शोधित कोयले की मात्रा केवल 6.64 लाख टन थी जिसके लिए बीसीसीएल ने ₹588.59 करोड़ (शोधित कोयला एवं सह-उत्पादों का मूल्य) राजस्व अर्जित किया। इसके बदले में 13.91 लाख टन स्टील ग्रेड कोयले की पूरी मात्रा को यदि अधिसूचित मूल्य पर भी ग्राहकों को सीधे आपूर्त किया गया होता तो भी इससे ₹683.68 करोड़ का राजस्व अर्जित होता। यदि एमओयू मूल्यों को माना जाए (क्योंकि बीसीसीएल के पास सेल और मै. टाटा स्टील के साथ एमओयू के प्रति स्टील ग्रेड कोयले की बिक्री का विकल्प था), तो राजस्व हानि और अधिक⁶ होती।
- भारत में घरेलू कोकिंग कोयले की उपलब्धता बहुत कम है। सेल को 2014-15 में 128.70 लाख टन और 2015-16 में 133.00 लाख टन कोकिंग कोयले का आयात करना पड़ा था। इस प्रकार, किसी वाणिज्यिक लाभ के बिना कीमती स्टील ग्रेड कोयले को मिश्रित करने से राष्ट्रीय संशाधनों का अपव्यय हुआ।

कीमती स्टील ग्रेड कोयले को शोधन ग्रेड कोयले के साथ मिलाने के बीसीसीएल के निर्णय के परिणामस्वरूप परम्परागत रूप से 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹95.09 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।

⁶ स्टील ग्रेड-I/स्टील ग्रेड-II कोयले के लिए अधिसूचित मूल्य ₹4800/₹4080 की तुलना में टाटा स्टील के साथ स्टील-II कोयले के लिए समओयू मूल्य ₹7176 और सेल के साथ स्टील ग्रेड-I/स्टील ग्रेड-II कोयले के लिए ₹6765/₹5985 था।

सिफारिशें

- (i) प्रबंधन को नियमित रूप से कीमती स्टील ग्रेड कोयले को शोधन ग्रेड कोयले के साथ मिलाने की अपनी प्रथा की समीक्षा करनी चाहिए। शोधनशाला खपत की मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए सीसीएल में गठित संयोजन समिति का तंत्र अपनाने की आवश्यकता की भी समीक्षा की जानी चाहिए।
- (ii) स्टील ग्रेड कोयले को मिलाने के बाद भी शोधित कोयले का उत्पादन पूर्व और बाद की अवधि की तुलना में 2013-16 के दौरान असामान्य रूप से बहुत कम था। इस अवधि के दौरान असामान्य कम उत्पादन की गहन समीक्षा की जाए ताकि कंपनी के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मंत्रालय को नवम्बर 2017/फरवरी 2018 में मामले की सूचना दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।

3.2 100 टिपर्स की अनुचित खरीद

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने 35 टन क्षमता वाले डम्परों की जगह इतनी ही क्षमता के 100 टिपर्स खरीदे। ऐसे परिवर्तन की तकनीकी व्यवहार्यता का निर्धारण एवं उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना डम्परों को हटाने के लिए टिपर्स खरीदने के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹79.59 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ। इसके अलावा बीसीसीएल को 2014-17 के दौरान निष्क्रिय टिपर्स के पर्यवेक्षण प्रभारों पर भी ₹11.31 करोड़ का निष्फल व्यय करना पड़ा।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक कंपनी, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) आउटसोर्सिंग के साथ विभागीय माध्यमों से खुली खदान और भूमिगत खदानों से कोयले के खनन से जुड़ी कंपनी है। बीसीसीएल की खुली खदान में विभागीय उत्पादन बेलचे, डम्पर्स, डोजर्स आदि जैसी भारी अर्थ मूविंग मशीनरियों (एचईएमएम) की सहायता से करती है। इन मशीनों की खरीद या तो नई परियोजना की आवश्यकता को पूरा करने अथवा मौजूदा मशीनों को बदलने के लिए किया जाता है। इन मशीनों की खरीद सीआईएल की क्रय नियमावली और तत्संबंधी खदानों की अनुमोदित परियोजना रिपोर्टों में निहित एचईएमएम नियोजन की संबंधित योजना द्वारा निर्देशित हैं।

बीसीसीएल को दस अलग-अलग खदान क्षेत्रों से सर्वेक्षण⁷ से बाहर अपने 35 टन डम्परों के प्रति मांगसूची प्राप्त हुई (जुलाई-अगस्त 2012)। तदनुसार, सौ 35 टन वाले डम्परों की

⁷ सर्वेक्षित उपकरण वे हैं जो समय के साथ-साथ मितव्ययी मरम्मत से बाहर और जर्जर हो जाते हैं।

छः वर्षों के इनके मरम्मत और अनुरक्षण ठेके (एमएआरसी) सहित इनकी खरीद के लिए घरेलू बोलियों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की गई (अक्टूबर 2012)। यद्यपि मांगसूची डम्पर्स के लिए थीं, परन्तु बीसीसीएल ने इस आधार पर एनआईटी में डम्पर और टिपर दोनों की विशिष्टतायें शामिल कर दीं कि इससे ऐसे वेंडरों की भागीदारी और बढ़ेगी जो टिपर्स के साथ-साथ डम्परों के विनिर्माण से जुड़े थे।

इस एनआईटी की एक बोलीदाता, बीईएमएल लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की एक कंपनी) ने स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर⁸ (आईईएम) से एनआईटी में डम्पर और टिपर की विशिष्टताओं को आपस में मिलाने पर आपत्ति दर्ज की (फरवरी 2013)। अपने विरोध पत्र में बीईएमएल ने कहा कि डम्पर्स और टिपर्स तकनीकी रूप से तुलनीय नहीं थे और इस बात पर जोर दिया कि एनआईटी में समुचित प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाएगी क्योंकि कोई भी डम्पर टिपर की तुलना में अर्हक स्तर का अंक प्राप्त नहीं कर सकेगा, चूँकि एनआईटी में विभिन्न तकनीकी आधार पर टिपर्स को अधिक महत्व दिया गया था। इसलिए आईईएम का मानना था कि डम्पर्स और टिपर्स के तकनीकी मापदंड भिन्न थे और तकनीकी मूल्यांकन के लिए उनके बीच तुलना करना सम्भव नहीं था। तदनुसार, आईईएम ने निविदा को रद्द कर दोनों की विशेषताओं को मिलाए बिना डम्पर्स अथवा टिपर्स के लिए अलग नई निविदा जारी करने की सिफारिश की, जैसा भी बीसीसीएल द्वारा उचित समझा जाए।

तत्पश्चात् बीसीसीएल के खनन क्षेत्र ने 35 टन डम्पर्स के स्थान पर 35 टन टिपर्स का संशोधित मांग पत्र प्रस्तुत किया (मार्च 2013)। सीएमपीडीआईएल⁹ ने कोयला खदानों में कोयले के प्राथमिक संचालन/अधिभार परिवहन के लिए अपनी परियोजना रिपोर्टों में विशेष रूप से डम्पर्स का प्रस्ताव दिया है। जबकि, डम्पर्स का प्रयोग कोयला खदानों से निकले कोयलो को स्टॉक यार्डों तक लाने - ले जाने के लिए मुख्य खनन क्षेत्रों में बेलचों के साथ प्रयोग किया जाता है, टिपर्स का प्रयोग सामान्यः स्टॉकयार्ड से लदान/प्रेषण स्थल तक परिवहन के लिए खनन उद्योग में किया जाता है। हालांकि, बीसीसीएल ने ऐसे परिवर्तन के किसी दर्ज कारण अथवा औचित्य के बिना डम्पर्स की जगह टिपर्स की मांग की थी। बीसीसीएल ने छः वर्षों के लिए एमएआरसी के साथ टिपर्स की खरीद के लिए नई निविदा जारी की (मार्च 2013)।

⁸ केंद्रीय सतर्कता आयोग की अखण्डता संधि के अनुसार संबंधित वेंडरों/बोलीदाताओं तथा क्रेता के बीच किए गए करार की स्वतंत्रता पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर नियुक्त किया जाता है।

⁹ सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), सीआईएल की एक सहायक कंपनी है जो कोयला क्षेत्र में सलाहकार के रूप में कार्य करती है और परियोजना रिपोर्ट तैयार करती है तथा एचईएमएल के लिए उपयोग मानक निर्धारित करती है।

मै. लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड (एलएण्डटी) को न्यूनतम बोलीदाता के रूप में चुना गया और ₹309.58 करोड़ मूल्य (उपकरण हेतु ₹79.59 करोड़ तथा छः वर्षों के एमएआरसी के लिए ₹229.99 करोड़) पर मै. स्कानिया कमर्शल व्हीकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड¹⁰ (एससीवीआईपीएल) द्वारा निर्मित 35 टन के 100 टिपर्स की खरीद के लिए उन्हें क्रय आदेश जारी किया गया था (जुलाई 2013)। एलएण्डटी भारत में स्कानिया द्वारा निर्मित टिपर्स की एकमात्र वितरक थी। सभी 100 टिपर्स की आपूर्ति निर्धारित समय-सीमा में की गई थी (दिसम्बर 2013 से जनवरी 2014) और दिसम्बर 2013 से मई 2014 के दौरान बीसीसीएल की अलग-अलग खदानों में इन्हें लगाया गया था। टिपर्स का भुगतान सीधे एससीवीआईपीएल को तथा एमएआरसी पर्यवेक्षण प्रभागों का भुगतान एलएण्डटी को किया गया था। 2014-17 तक इन टिपर्स का औसत वार्षिक उपयोग आर्डर का 25 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

- (i) बीसीसीएल की खदानों में चार दशक से अधिक समय से परम्परागत रूप से डम्पर्स का प्रयोग किया जा रहा है। डम्पर्स और टिपर्स के लिए संयुक्त निविदा के औचित्य को देखते हुए आईईएम (फरवरी 2013) का मत था कि खनन कार्यों के लिए लम्बे समय से प्रयुक्त होने वाले डम्पर्स को अचानक बंद नहीं कर देना चाहिए जब तक कि ऐसा करने के अपरिहार्य कारण न हों। आईईएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि पहली बार खदान में टिपर्स लाते समय खननकर्ताओं की सुरक्षा और संरक्षा की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाए क्योंकि सीआईएल की किसी भी सहायक कंपनी में विभागीय खनन हेतु टिपर्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। तथापि, किसी भी औचित्य द्वारा टिपर्स लाने का निर्णय नहीं बदला गया।
- (ii) सीआईएल की क्रय नियमावली के खण्ड 5.4.4 में यह प्रावधान है कि खरीद के दौरान खान की परियोजना रिपोर्ट में अनुमोदित मशीन/उपकरण की विशेषताओं में किसी भी परिवर्तन के मामले में सीएमपीडीआईएल की मंजूरी आवश्यक थी। चूँकि डम्पर्स को बदलने के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू की जा रही थी, इसलिए डम्पर्स को बदलकर टिपर्स लाने का निर्णय सीएमपीडीआईएल द्वारा समर्थित होना चाहिए था, जो बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया था।
- (iii) एलएण्डटी से 35 टन के सौ टिपर्स की खरीद का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु बीसीसीएल बोर्ड को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, बोर्ड के एजेंडा में (जून 2013 की बैठक)

¹⁰ स्कानिया AB की सहायक, स्वीडन की हैवी इयूटी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी।

यह महत्वपूर्ण सूचना शामिल नहीं की गई थी कि डम्पर्स की जगह टिपर्स की खरीद जा रही थी और यह कि सीआईएल की अन्य सहायक कंपनियों के साथ-साथ बीसीसीएल की विभागीय खनन में पहली बार टिपर्स लाए जा रहे थे।

- (iv) टिपर्स की उपलब्धता और उपयोग के लिए मानक नहीं थे यद्यपि सीएमपीडीआईएल मानकों में डम्पर्स का उल्लेख था (67 प्रतिशत की उपलब्धता और 50 प्रतिशत उपयोग)। यह देखते हुए कि डम्पर्स की जगह टिपर्स लाए जा रहे थे, उनकी उपलब्धता और उपयोग की डम्पर्स की तरह ही उम्मीद की जा सकती थी। बीसीसीएल की विभिन्न खदानों में 100 टिपर्स चालू होने से लेकर (2014-15 से 2016-17 के दौरान) उनका औसत वार्षिक उपयोग¹¹ बहुत कम था जो 25 प्रतिशत से 26 प्रतिशत था जबकि कुल शिफ्ट घंटों में उनकी उपलब्धता¹² बहुत अधिक, 77 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक थी। 2016-17 के समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए इन 100 टिपर्स के उपयोग का विवरण इस प्रकार था:

वर्ष	उपलब्ध कार्य घंटे के संदर्भ में 100 टिपर्स का उपयोग					
	0%	0% से अधिक किंतु 5% तक	5% से अधिक किंतु 10% तक	10% से अधिक किंतु 20% तक	20% से अधिक किंतु 50% तक	50% और अधिक
	टिपर्स की संख्या					
2014-15	2	10	15	24	49	0
2015-16	7	13	16	24	37	3
2016-17	15	4	12	34	31	4

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कोई भी टिपर ने 2014-15 में डम्पर्स के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित उपलब्ध कार्य घंटे का 50 प्रतिशत उपयोग पूरा नहीं कर सका और 2015-16 में केवल 03 टिपर्स और 2016-17 में 4 टिपर्स इन मानकों को पूरा कर सके।

- (v) बीसीसीएल ने लेखापरीक्षा को बताया कि टिपर्स का कम उपयोग अन्य उपकरणों के साथ टिपर्स की समनुरूपता के अभाव और विभागीय खनन की कार्य दशा के साथ टिपर्स का समनुरूप न होने के कारण था। टिपर्स का प्रयोग बेलचों के साथ मिलकर किया जाता है, बीसीसीएल द्वारा खरीदे गए टिपर्स मौजूदा बेलचों के अनुरूप नहीं थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

¹¹ उपयोग प्रतिशतता = [(कुल शिफ्ट घंटे - ठप घंटे - निष्क्रिय घंटे)/कुल शिफ्ट घंटे] X 100, जहां कुल शिफ्ट घंटे 24 X 365

¹² उपलब्धता प्रतिशतता = [(कुल शिफ्ट घंटे - ठप घंटे)/कुल शिफ्ट घंटे] X 100

- बीसीसीएल के सिजुआ क्षेत्र में स्कानिया द्वारा निर्मित टिपर्स उपलब्ध ईकेजी 5.0 घन मी. बेलचों से मेल नहीं खाते थे।
- बीसीसीएल के ईजे क्षेत्र में, स्कानिया द्वारा निर्मित टिपर्स केवल हाइड्रोलिक बेलचों के साथ कार्य करते थे जिसका पहले ही सर्वेक्षण किया गया था और ये लगातार बंद होते जा रहे थे।
- बीसीसीएल के कटरा क्षेत्र में, डम्पर्स के चालक टिपर्स चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं थे।

इसके बावजूद, विभागीय खनन स्थितियों के अंतर्गत टिपर्स के साथ मानसून के दौरान संचालन एवं रात में संचालन बहुत मुश्किल बताया गया।

- (vi) एमएआरसी ठेके के अनुसार, पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान टिपर्स के उपलब्ध कार्य घंटों के आधार पर किया जाना था। चूँकि टिपर्स के वास्तविक उपयोग घंटे उपलब्ध कार्य घंटे से काफी कम थे, फिर भी बीसीसीएल को मार्च 2014 से अप्रैल 2017 के दौरान निष्क्रिय पड़े टिपर्स घंटों के लिए भी एलएण्डटी को ₹11.31 करोड़ के पर्यवेक्षण प्रभार का भुगतान करना पड़ा था।

इस प्रकार, बीसीसीएल की मौजूदा खनन परिस्थितियों में कार्य की तकनीकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किए बिना 35 टन के सौ टिपर्स की खरीद के परिणामस्वरूप ₹79.59 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ। इसके अलावा, निष्क्रिय घंटों के लिए टिपर्स के पर्यवेक्षण प्रभारों पर ₹11.31 करोड़ का निष्फल व्यय भी करना पड़ा था क्योंकि मौजूदा खनन परिस्थितियों और अन्य एचईएमएम के साथ उनकी असमानता के कारण विभागीय खनन क्षेत्रों में इन्हें काम में नहीं लगाया जा सका।

बीसीसीएल प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि:

- बीसीसीएल की खुली परियोजनाओं के हायर्ड पैचेज में कोयले के उत्पादन और अधिभार¹³ को हटाने, दोनों के लिए टिपर्स को सफलतापूर्वक लगाया गया था।
- केवल बीईएमएल ही 35 टन वाले डम्पर्स का निर्माण कर रही है और इसलिए 35 टन वाले डम्पर्स की बाजार में सही प्रतिस्पर्धा उपलब्ध नहीं है। एनआईटी की शर्तें उच्चतर भागीदारी और प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। यदि 35 टन वाले डम्पर के लिए विशेष निविदा दी जाती तो केवल एक

¹³ अधिभार, चट्टान, मिट्टी और जैव प्रणाली हैं जो कोयले या अयस्क पर जमे होते हैं जिसे सतही खनन के दौरान हटाया जाता है।

ही तत्संबंधी बोलीदाता अर्थात् बीईएमएल ही भाग लेता क्योंकि यह वर्तमान में 35 टन वाले डम्पर्स बनाने वाला एकमात्र विनिर्माता है।

- एचईएमएम के प्रकार का निर्धारण करने हेतु खनन के भू-खनन मापदण्ड मुख्य निर्देशी कारक हैं जो सीआईएल की अलग-अलग इकाइयों में और अलग-अलग खनन क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। सीआईएल की अन्य सहायक इकाइयों में डम्पर्स अधिकांशतः 35 टन वाले डम्पर्स से बड़े हैं। बीसीसीएल की खदाने अन्य इकाइयों की खदानों से भिन्न हैं क्योंकि बीसीसीएल खदानें मोटी परतों और विभिन्न खतरनाक चीजों जैसे आग, विकसित भूमिगत खदानों की उपस्थिति आदि से घिरी हैं जो छोटे आकार के पेचेज़/प्रतिबंधित स्थान के कारण एचईएमएम उपकरण बदलने में प्रतिबंध लगाते हैं जिसके लिए छोटे आकार के एचईएमएम/ परिवहन उपकरण अर्थात् टिपर्स की आवश्यकता थी।
- सामान्यतः बीसीसीएल के कार्यों के लिए स्कानिया द्वारा निर्मित टिपर्स का प्रयोग किया जाता है और 2014-15 से 2016-17 के दौरान उनका प्रतिशत उपयोग 25-26 प्रतिशत के बीच था, जबकि उसी अवधि के दौरान बीसीसीएल में 35 टन वाले डम्पर्स का उपयोग 16 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक था।
- बीसीसीएल खदानों में छोटे आकार/क्षमता के हाइड्रोलिक बेलचे उपलब्ध हैं जो 35 टन वाले टिपर्स के साथ सफलतापूर्वक कार्य करते थे।

निम्नलिखित के मद्देनजर प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- बीसीसीएल सहित सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में खुली खदानों में कोयले के विभागीय उत्पादन के लिए डम्पर्स का प्रयोग किया जाता है। सीआईएल की किसी भी सहायक कंपनी ने अब तक कोयले के विभागीय उत्पादन के लिए डम्पर्स की जगह टिपर्स का प्रयोग नहीं किया है। पहली बार केवल बीसीसीएल खदानों में एचईएमएम को बदलने का प्रमुख निर्णय उपयुक्त रूप से औचित्यपूर्ण होना चाहिए था। वास्तव में, बीसीसीएल के खनन क्षेत्रों में शुरुआत में डम्पर्स की मांग की गई थी जिसे बदलकर बाद में टिपर्स लाने का निर्णय बिना औचित्य के था।
- प्रत्येक खदान की परियोजना रिपोर्ट मौजूदा भू-खनन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। परियोजना रिपोर्टों में बीसीसीएल सहित सीआईएल के सभी खनन क्षेत्रों में कोयले के उत्पादन हेतु बेलचे के साथ डम्पर की सिफारिश की गई है। डम्पर से टिपर में एचईएमएम की विशेषताओं में अंतर के लिए सीआईएल

नियमावली के खण्ड 5.4.4 के अनुसार सीएमपीडीआईएल की मंजूरी आवश्यक थी, जिसका बीसीसीएल द्वारा पालन नहीं किया गया था।

- वे टिपर्स बीसीसीएल की विभागीय खनन के लिए खनन क्षेत्रों में टिपर्स के प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयुक्त नहीं समझे गये हैं। यह कहा गया कि बीसीसीएल की खदाने गहरी और उच्च ढाल के साथ शंक्राकार हैं और अन्य बातों के साथ-साथ 4-5 घन मीटर क्षमता वाले इलेक्ट्रिक बेलचों के साथ 35 टन वाले डम्पर का प्रयोग किया जाता है। टिपर्स या तो बेलचों के अनुरूप नहीं थे अथवा अनुरूप बेलचे खदान की फिसलनदार सड़क के कारण नीचे गिरने/दुर्घटनाओं से बचने के लिए विशेष कर मानसून में नियोजन हेतु प्रतिबंधित थे। इसके अतिरिक्त, अगले टायरों के बीच लंबे अंतर और विभागीय खदानों में चलने वाले डम्पर्स के भारी वजन के कारण ढुलाई सड़कों के बीच ब्रेकर बनाए गए थे, जिससे टिपर्स का कार्यचालन अवरूद्ध हुआ।
- नए खरीदे गए टिपर्स और 2008 में खरीदे गए पुराने डम्पर्स जिन्हें अप्रैल 2001 और अक्टूबर 2009 के बीच चालू किया गया था, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। वास्तव में पुराने डम्पर्स की अत्यधिक संख्या 2014-17 के दौरान उपयोग हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। अभिलेखों से पता चला कि इस अवधि के दौरान उपलब्ध 35 टन वाले डम्पर्स की उपयोग 40 प्रतिशत तक था।

इस प्रकार, एचईएमएम में ऐसे परिवर्तन की तकनीकी व्यवहार्यता का निर्धारण और उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना डम्पर्स की जगह टिपर्स खरीदने के बीसीसीएल के निर्णय के परिणामस्वरूप 100 टिपर्स की खरीद पर ₹79.59 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ। इसके अलावा, बीसीसीएल को निष्क्रिय टिपर्स के पर्यवेक्षण प्रभारों पर ₹11.31 करोड़ का निष्फल व्यय भी करना पड़ा।

मंत्रालय को जनवरी 2018 में मामले से अवगत कराया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

3.3 पैनल प्रभारों का परिहार्य भुगतान

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने कथारा क्षेत्र के दामोदर वेली कारपोरेशन (डीवीसी) की संविदागत माँग की अपेक्षा परम्परागत रूप से अधिक बिजली प्राप्त की। सितम्बर 2014 में संविदागत बिजली से अधिक लेने के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेएसईआरसी) द्वारा पैनल प्रभार शुरू करने के बावजूद भी सीसीएल अपनी संविदागत मांग को संशोधित करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान ₹6.79 करोड़ के पैनल मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) झारखण्ड में स्थित कथारा क्षेत्र में खनन गतिविधियां करने हेतु दामोदर वेली कारपोरेशन (डीवीसी) से बिजली लेता है। इस क्षेत्र के लिए 2006 में सीसीएल और डीवीसी के बीच 5000 केवीए की एक मांग संविदा की गई थी। सीसीएल ने जब और जहां जरूरी समझा, डीवीसी से संविदागत मांग से अधिक और अतिरिक्त बिजली प्राप्त की। परम्परागत रूप से सीसीएल ने डीवीसी से संविदागत बिजली से अधिक बिजली प्राप्त की। (5000 केवीए की संविदागत मांग के प्रति अप्रैल 2013 से अगस्त 2014 के दौरान औसत मासिक मांग 15957 केवीए थी)।

सितम्बर 2014 में, झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेएसईआरसी) ने झारखण्ड के डीवीसी कमांड क्षेत्र के लिए मल्टी ईयर टैरिफ (एमवाईटी) जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पैनल मांग प्रभार भी शुरू किया गया। आदेश में संविदागत मांग के 110 प्रतिशत खपत तक प्रतिमाह ₹410/केवीए का सामान्य मांग प्रभार निर्धारित किया। इस खपत के बाहर उपभोक्ता को ₹410/केवीए प्रतिमाह की सामान्य दर से 1.5 गुना अधिक दर (₹615/केवीए) पर पैनल मांग प्रभार का भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सितम्बर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान कथारा क्षेत्र के लिए सीसीएल की औसत मासिक मांग 18488 केवीए थी। तथापि सीसीएल ने अपनी संविदा मांग में संशोधन नहीं किया जो अभी भी 5000 केवीए थी। चूँकि वास्तविक मांग संविदा मांग के 110 प्रतिशत से काफी अधिक थी, इसलिए सीसीएल को एमवाईटी के अनुसार इस अवधि के दौरान पैनल मांग प्रभारों का भुगतान करना पड़ा जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(1)	कुल मासिक संविदा मांग (केवीए में)	220000
(2)	कुल मासिक संविदा मांग का 110% जिस पर सामान्य मांग प्रभार लगाया जाना है [(1) x 110%] (केवीए में)	242000
(3)	वास्तविक बिजली खपत (केवीए में)	573122
(4)	बिजली खपत जिस पर पैनल मांग प्रभार वसूला गया [(3) - (2)] (केवीए में)	331122
(5)	भुगतान किया गया पैनल मांग प्रभार [(4) x ₹615 प्रति केवीए]	₹20,36,40,030
(6)	भुगतान किया गया परिहार्य मांग प्रभार [(4) x (₹615 - ₹410) प्रति केवीए]	₹6,78,80,010 और ₹6.79 करोड़

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि अगस्त 2015 और जनवरी 2016 में जुर्माने से बचने के लिए कथारा क्षेत्र ने सीसीएल मुख्यालय से संविदा मांग 5000 केवीए से बढ़ाकर 19000 केवीए करने का अनुरोध किया। तथापि, सीसीएल ने संविदा मांग संशोधित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया। इसके बावजूद सीसीएल ने डीवीसी से बार-बार संविदा मांग से अधिक तदर्थ बिजली आवश्यकता हेतु पैनल मांग प्रभार माफ करने का अनुरोध किया। इसे डीवीसी द्वारा यह कहते हुए मना कर दिया गया (मई 2016) कि जेएसईआरसी टैरिफ में किसी तदर्थ बिजली की मंजूरी का कोई प्रावधान नहीं था। डीवीसी ने यह भी कहा (अप्रैल, मई 2016) कि यह जेएसईआरटी टैरिफ आदेश की सीमा में सीसीएल द्वारा संविदा मांग को बढ़ाने के प्रस्ताव की समीक्षा करने हेतु तैयार था। कथारा क्षेत्र के साथ-साथ डीवीसी द्वारा उठाए जाने के बाद भी सीसीएल ने डीवीसी के पास अपनी संविदा मांग में संशोधन करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की और लगातार पैनल प्रभारों का भुगतान करना जारी रखा। तत्पश्चात् अप्रैल 2017 से डीवीसी ने स्वप्रेरणा से संविदा मांग संशोधित करके 20,000 केवीए कर दिया जिसके बाद से पैनल मांग प्रभार नहीं वसूले जा रहे थे।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2017) कि:

- एमवाईटी शुरू करने के बाद डीवीसी ने इस दलील के आधार पर सीसीएल को तदर्थ बिजली देना बंद कर दिया कि जेएसईआरसी टैरिफ में तदर्थ बिजली का कोई प्रावधान नहीं था और आवश्यकतानुसार तदर्थ बिजली देने के लिए सीसीएल और डीवीसी के बीच आपसी करार का उल्लंघन करते हुए पैनल प्रभारों की मांग करना शुरू किया।
- जेएसईआरसी से टैरिफ आदेश के अनुसार, सीसीएल के सुझाव पर डीवीसी को एमओयू संशोधन करना था, जो अभी तक नहीं किया गया था। इसके अलावा, सीसीएल ने आपसी करार/एमओयू की शर्तों के अनुसार तदर्थ बिजली आवंटित करने तथा समानुपातिक आधार पर प्रभार लगाने के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रखने का डीवीसी से समय-समय पर और बार-बार प्रयास किया।

- यदि सीसीएल ने कथारा में पैनल प्रभारों से बचने के लिए 20,000 केवीए की संविदा मांग के लिए डीवीसी के साथ नए करार किए होते तो डीवीसी से बिजली के गैर-उपयोग के लिए मांग प्रभारों पर लगभग प्रति माह ₹46 लाख¹⁴ की हानि होती है क्योंकि सीसीएल कथारा के अपने 20 मेगावाट कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र से खनन संचालन की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुआ।

मंत्रालय का उपरोक्त उत्तर निम्नलिखित के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है:

- झारखण्ड के डीवीसी कमांड क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का टैरिफ जेएसईआरसी द्वारा तय किया जाता है। एमवाईटी शुरू करने के तुरंत बाद डीवीसी ने सीसीएल को बताया (अक्टूबर 2014) कि जेएसआरईसी टैरिफ आदेश के अनुसार तदर्थ बिलों का कोई प्रावधान नहीं था। अतः संविदा मांग से अधिक अतिरिक्त बिजली आवश्यकता के लिए सीसीएल का एमवाईटी आदेशानुसार पैनल प्रभारों का भुगतान करना था।
- आपत्ति किए गए किसी भी माह में कथारा के मौजूदा 20 मेगावाट कैप्टिव बिजली संयंत्र से कथारा क्षेत्र की बिजली आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी। वास्तव में, डीवीसी से मासिक रूप से ली गई बिजली इस अवधि के दौरान 5500 केवीए से बहुत अधिक थी (5000 केवीए के संविदा मांग का 110 प्रतिशत), जिसके कारण पैनल मांग प्रभारों का भुगतान करना पड़ा। अतः उच्चतर संविदागत मांग के कारण हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस प्रकार, डीवीसी के साथ-साथ इकाई प्रबंधन (कथारा) द्वारा सावधान किए जाने के बावजूद भी सीसीएल कथारा क्षेत्र के लिए डीवीसी के साथ अपने संविदा मांग में संशोधन करने में कोई उचित काम उठाने में विफल रहा। जिसके कारण सितम्बर 2014 से मार्च 2017 के लिए ₹6.79 करोड़ के पैनल मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान करना पड़ा

मंत्रालय को दिसम्बर 2017 में मामले से अवगत कराया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।

¹⁴ मांग प्रभार के बीच अंतर प्रतिमाह 20,000 केवीए (0.75 x 20000 x ₹410) – 5000 केवीए के लिए मांग प्रभार (0.75 x 5000 x ₹410), ठेका मांग का न्यूनतम 75 प्रतिशत गारंटीड बिजली भुगतान मानते हुए।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड

3.4 सुविधाओं और भत्तों का अधिक भुगतान

एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने डीपीई दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक सुविधाओं और भत्तों का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹21.14 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने 1 जनवरी 2007 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारियों एवं गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के वेतनमान के संशोधन पर दिशा-निर्देश जारी किए (नवम्बर 2008)। दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीपीएसई के निदेशक मंडल विभिन्न श्रेणी के कार्यकारियों को देय भत्तों एवं सुविधाओं का निर्णय लेगा बशर्ते कि यह मूल वेतन के अधिकतम 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। भत्तों का एक निर्धारित सेट होने के बजाय सीपीएसई अपने कार्यकारियों को सुविधाओं और भत्तों के चयन करने की अनुमति देते हुए 'कैफेटेरिया अप्रोच' अपना सकती थी।

डीपीई दिशा-निर्देशों के आधार पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) ने बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारियों एवं गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के वेतनमान के संशोधन की मंजूरी दी (जनवरी 2011) और 26 नवम्बर 2008 से सुविधाओं और भत्तों में संशोधन का आदेश जारी किया (फरवरी 2011)। आदेशों के अनुसार, सुविधाओं और भत्तों में शामिल थे, (i) मूल वेतन के 40 प्रतिशत के बराबर सामान्य भत्ते और (ii) क्षेत्र आधारित भत्ते जिसमें शामिल थे (क) मूल वेतन के 6 से 9 प्रतिशत तक खनन भत्ते, (ख) मूल वेतन के 5 से 7 प्रतिशत तक तापीय भत्ता और (ग) मूल वेतन के 5 प्रतिशत तक सेवा क्षेत्र भत्ता। इन प्रतिशत आधारित भत्तों के अतिरिक्त, कंपनी बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों को निर्धारित-दर क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जैसे कि खनन कार्मिक क्षतिपूर्ति, संचालन निगरानी क्षतिपूर्ति, रात्रि क्षतिपूर्ति, परियोजना क्षतिपूर्ति आदि।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों को निर्धारित मूल वेतन की अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा से अधिक भत्ते/लाभ/सुविधायें दीं। फलस्वरूप, कंपनी ने डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में 2010-11 से 2016-17 की अवधि के दौरान ₹21.14 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई/अक्टूबर 2017) कि एनएलसी बोर्ड ने कंपनी के कार्यकारियों की सुविधाओं और भत्तों का निर्धारण करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों को मंजूर

किया था, जिसमें 2010-11 के लिए बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित सुविधाओं और भत्तों की कुल राशि उनके समेकित मूल वेतन की 48.97 प्रतिशत थी। 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों को भुगतान की गई सुविधायें और भत्ते सही थे और ये कुल मूल वेतन की अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा के अंदर थे। इसके अतिरिक्त, चूँकि नवम्बर 2008 के डीपीई दिशा-निर्देशों में यह विनिर्दिष्ट नहीं था कि मूल वेतन की अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा व्यक्तियों पर लागू थी, इसलिए कंपनी ने डीपीई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया था। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर की पुष्टि की (अक्टूबर 2017)।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीपीई निर्देश नवम्बर 2008 में सभी कार्यकारियों के 'मूल वेतन' की अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा का उल्लेख है, न कि 'कुल मूल वेतन' का। इसलिए अधिकतम सीमा अलग-अलग कार्यकारियों के मूल वेतन के संबंध में लागू किए जाने थे न कि सामूहिक रूप से। इसके अतिरिक्त, सीपीएसई द्वारा निष्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) के भुगतान पर स्पष्टीकरण जारी करते समय डीपीई ने कहा था (जुलाई 2011) कि पीएलआई का वितरण 'व्यक्तिवार' कार्यकारियों के मूल वेतन के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के अंदर सुविधायें और भत्तों के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार, सुविधाओं और भत्तों पर अधिकतम सीमा प्रत्येक कार्यकारी के मूल वेतन पर अलग-अलग लागू थी।

3.5 लिग्नाइट के परिवहन पर परिहार्य व्यय

एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने खदान-IA में आवश्यकता से अधिक लिग्नाइट का उत्पादन किया और तत्पश्चात अन्य खदानों तक इसका परिवहन किया जिसके परिणामस्वरूप ₹17.24 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) लिग्नाइट के खनन और अपनी खदानों से निकाले गए लिग्नाइट का प्रयोग करके तापीय विद्युत संयंत्रों के माध्यम से बिजली का उत्पादन करता है। कंपनी के पास अपने 600 मेगावाट क्षमता के पिट-हेडेड तापीय विद्युत स्टेशन-I (टीपीएस-I) तथा खदान-I से जुड़े टीपीएस-I विस्तार तथा 1470 मेगावाट क्षमता का तापीय विद्युत स्टेशन (टीपीएस-II) और खदान-II से जुड़ा टीपीएस-II विस्तार है। कंपनी ने तका नेवेली पावर कंपनी लिमिटेड (टीएक्यूए) की 250 मेगावाट क्षमता की टीपीएस की ईंधन आवश्यकता (19 एलटीपीए) को पूरा करने तथा अपने सर्वोत्तम लाभ के लिए 11 एलटीपीए

की शेष क्षमता का उपयोग करने के लिए 30 लाख टन प्रतिवर्ष (एलटीपीए) की स्थापित क्षमता¹⁵ के साथ खदान-IA चालू किया (मार्च 2003)।

2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान कंपनी ने खदान-IA से 85.12 लाख टन (एलटी) लिग्नाइट का उत्पादन किया जिसमें से 46.90 एलटी ईंधन आपूर्ति करार को पूरा करने के लिए टीएक्यूए को भेज दिया गया और 8.50 एलटी बाहरी लोगों को बेच दिया गया। कंपनी 2014-17 के दौरान खदान-IA से खदान-II तक (5.54 एलटी) तथा 2015-17 के दौरान खदान-II तक (16.43 एलटी) लिग्नाइट अर्थात् कुल 21.97 एलटी का ₹17.24 करोड़ की लागत पर परिवहन किया। लिग्नाइट का स्थानान्तरण इस आधार पर किया गया कि (i) खदान-IA से लिग्नाइट की आपूर्ति टीपीएस-I एवं II की आंशिक आवश्यकताओं को पूरा करेगी, (ii) खदान-IA में लिग्नाइट भंडार के सहज गर्म होने से बचाव होगा, (iii) आगे और लिग्नाइट उत्पादन के लिए खदान-IA भण्डार में जगह बनेगी ताकि खदान-IA का उत्पादन लक्ष्य पूरा किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- (क) उपरोक्त अवधि के दौरान, खदान-I एवं खदान-II से लिग्नाइट की आपूर्ति उनसे जुड़े टीपीएस-I (और टीपीएस-I विस्तार) तथा टीपीएस-II (और टीपीएस-II विस्तार) की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त थी, जैसा कि निम्नलिखित सूचना से स्पष्ट है:

(लाख टन में)

वर्ष	ओपनिंग स्टॉक	उत्पादन	संबद्ध टीपीएस और विस्तार द्वारा खपत	क्लोजिंग स्टॉक
खदान-I (और विस्तार)				
2014-15	6.67	90.55	87.79	9.43
2015-16	9.43	91.01	82.03	18.41
2016-17	18.41	94.02	91.85	20.58
खदान-II (और विस्तार)				
2015-16	8.35	123.09	125.26	6.18
2016-17	6.18	140.23	136.40	10.01

चूँकि टीपीएस-I एवं II की आवश्यकतायें क्रमशः खदान-I एवं II की आपूर्तियों से आसानी से पूरी हो सकती थी, इसलिए यह औचित्य कि खदान-IA से अन्य खदानों तक लिग्नाइट के परिवहन से संबद्ध टीपीएस की आंशिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, वैध नहीं था।

¹⁵ खदान की स्थापित क्षमता का अभिप्राय इसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता है।

- (ख) खदान-1ए भण्डार क्षमता की सामान्य भण्डारण क्षमता 3 लाख टन लिग्नाइट थी। खदान-1ए से अन्य खदानों को लिग्नाइट के परिवहन के बावजूद भी 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान खदान-1ए का औसत मासिक क्लोजिंग स्टॉक क्रमशः 3.37 एलटी, 5.85 एलटी और 8.99 एलटी था। इस प्रकार, खदान-1ए से लिग्नाइट के परिवहन से लिग्नाइट के सहज गर्म होने के जोखिम को कम नहीं किया क्योंकि खदान-1ए में लिग्नाइट की मात्रा परिवहन के बाद भी सामान्य भण्डारण क्षमता से काफी अधिक थी। अन्य खदानों में मात्रा भेजने से केवल उनका स्टॉक बढ़ा क्योंकि अन्य खदानों द्वारा इसकी आवश्यकता नहीं थी और इसलिए लिग्नाइट की मात्रा में क्षरण¹⁶ का जोखिम अभी भी था।
- (ग) 2014-15 से 2016-17 के दौरान टीएक्यूए द्वारा उठाई जाने वाली 57 एलटी की सहमत मात्रा के प्रति वास्तविक रूप से केवल 46.90 एलटी ही उठाया गया था। इसके अतिरिक्त, बाहरी बिक्री भी बहुत कम अर्थात् 8.50 एलटी थी। इस प्रकार, खदान-1ए में लिग्नाइट का अधिक उत्पादन केवल उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए था और इसे देखते हुए अन्य खदानों तक लिग्नाइट के परिवहन का आधार औचित्यपूर्ण नहीं था। इससे यह भी पता चला कि खदान-1ए का उत्पादन लक्ष्य वास्तविक मापदण्डों पर आधारित नहीं था।

इस प्रकार खदान-1ए से आवश्यकता से अधिक लिग्नाइट के उत्पादन और तत्पश्चात अन्य खदानों में लिग्नाइट के परिवहन के परिणामस्वरूप परिवहन पर ₹17.24 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (जून 2017) कि खदान-1ए को निर्धारित लागत वसूलने के लिए 85 प्रतिशत क्षमता अर्थात् 25.50 एलटी तक कार्य करना था। यदि एक खदान में 85 प्रतिशत क्षमता प्राप्त नहीं होती तो कंपनी को योजना बनाने की आवश्यकता होती और अन्य खदानों में लिग्नाइट उत्पादन बढ़ाना पड़ता ताकि यह किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल खनन क्षमता का 85 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम हो पाती। इसके अतिरिक्त, टीएक्यूए द्वारा खदान-1ए से लिग्नाइट की कम मात्रा उठाई गई और साथ ही खुली बिक्री भी बहुत कम थी। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से खदानों का संचालन रोका नहीं जा सकता था और लिग्नाइट का उत्पादन जारी रहा। चूँकि उत्पादित मात्रा के लिए भण्डारण स्थान की आवश्यकता थी, इसलिए अन्य खदानों तक लिग्नाइट का परिवहन अपरिहार्य हो गया।

¹⁶ जब लंबे समय तक लिग्नाइट स्टोर किया जाता है तो साथ-साथ सहज हीटिंग शुरू हो जाती है जो लिग्नाइट की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर डालती है।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2017) कि कुछ बिन्दुओं को ध्यान में रखकर लिग्नाइट का परिवहन किया गया था जैसे कि (i) मानकीकृत क्षमता पर खदान का संचालन, (ii) खदान-IA के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, (iii) भारी मात्रा में भण्डारण से बचने के लिए, (iv) लिग्नाइट की गुणवत्ता बनाए रखने तथा काफी समय तक भण्डारण के कारण इसकी गुणवत्ता में परिवर्तन को रोकने के लिए।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि कंपनी ने 2014-15 से 2016-17 के दौरान 93-97 प्रतिशत क्षमता पर खदान-IA का संचालन किया जो इसकी मानक क्षमता से अधिक था। चूँकि अन्य दो खदानों का क्षमता उपयोग भी इस अवधि के दौरान उनकी मानक क्षमताओं से अधिक था, इसलिए खदान-IA का इसकी मानक क्षमता से अधिक संचालन औचित्यपूर्ण नहीं था। इसके अतिरिक्त, अन्य खदानों से वार्षिक उत्पादन उनसे जुड़े टीपीएस की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त था और खदान-IA से लिग्नाइट की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, खदान-IA से स्थानांतरित मात्रा से केवल अन्य खदानों का स्टॉक बढ़ा जिसके कारण उनके पास स्टॉक का ढेर लग गया और लिग्नाइट की गुणवत्ता में क्षरण का जोखिम जारी रहा।